तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही जब दर्शित हो जज
01/25	पत्रावली पेश हुई। नवनीतलाल पन्नालाल आदि प्रति सं. 4 से 5 का जवाब प्रति में आ चुका है। प्रति सं. 1 लगायत 3 का डाक रिटर्न पेश नहीं आया, जो कि तामील नहीं हुआ। अतः प्रति 1 को निलम्ब कार्यवाही एकपक्षीय आगे चलाने बाबत पत्रावली दिनांक 10.03.25 को पेश हो।
10.03.25	आज यह पत्रावली पेश हुई। नवनीतलाल पन्नालाल उपस्थित रहे। सुने गये। पत्रावली एवं उसमें प्रस्तुत दस्तावेजों टिप्पणी का अध्ययन किया गया तो पाया गया कि प्रार्थी का वाद मीडिएशन एण्ड कांसिलियेशन विभाग नहीं हुआ है। उक्त अधिनियम की धारा 12 का प्रावधान इस पर लागू माना जाना वांछित है ऐसी स्थिति में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े व कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए आज यह प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को ता पेशी सूचना वाद जारी कर अप्रार्थी गिरवे कानूनी द्वारा पालना किया जाता है कि वे अप्रार्थी रकबा नम्बर 442 रकबा 0.3700, 443 रकबा 0.3600, 179 रकबा 0.2300, 181 रकबा 0.3200, 452 रकबा 0.5700 वाले ग्राम आजनहेड़ा तह० मुण्डावर की रिपोर्ट एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। ~~अग्रिम आज्ञा तक~~ पत्रावली पेश हुआ। होकर नम्बर से कम हो वाद तामील जाने तक दाखिल दफ्तर हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर